

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क- ०४ अ/19(3) वर्ष 2019-20

मौजा- सगोरिया प.ह.नं. 07

तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

परियोजना प्रशासक,

बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर

तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन

..... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक २९ /०५/2019)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर का पत्र क्रमांक-163/कार्य/2018-19 सागर दि. 06.02.19 के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दि. 12.02.14 से बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हेतु डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले 1190.56 हे. राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि में से बीना परियोजना में वर्तमान में 618.49 हे. भूमि उपयोग में ली जाना एवं शेष रकवा 572.07 हे. भूमि बण्डा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित की गई। प्राप्त पत्र के पालन में इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक-1197/री.कले./19 सागर दिनांक 08.02.19 के माध्यम से तहसीलदार बण्डा एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार बण्डा का प्रकरण क्रमांक-0051 बी/121 वर्ष 19-20 मौजा सगोरिया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा के माध्यम से प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुआ। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग के द्वारा मौका स्थल पर जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौका स्थल निरीक्षण में लेख है कि तहसील बण्डा राजस्व निरीक्षक मंडल बहरोल के ग्राम सगोरिया में स्थित भूमि ख.नं. 562 रकवा 110.74 हे. भूमि जो कि बीना परियोजना के डूब क्षेत्र उपरांत बदले में वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु प्रदाय की गई थी, जिस पर वर्तमान में वन विभाग का अधिपत्य है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में बण्डा परियोजना के नाम से कम्प्यूटर अभिलेख में नाम परिवर्तन करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मौके पर राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। वन विभाग के पत्र क्रमांक/मा.चि./18/480 सागर दिनांक 08.02.19 जो कि वन मंडल अधिकारी सागर द्वारा सहमति प्रेषित की गई है। तहसीलदार बण्डा के प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा द्वारा अपनी अनुशंसा की गई।

अतः तहसीलदार बण्डा/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बण्डा के प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होकर मौजा सगोरिया प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. बहरोल तहसील बण्डा जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :-

स.क्र.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	हस्तांतरित रकवा (हे.में)	मद
01	सगोरिया	07	562	110.74	110.74	वन विभाग म.प्र.शासन

P.T.O.

//2//

वन विभाग को पूर्व में इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.14 के द्वारा हस्तांतरित हो चुकी है तथा अधिपत्य भी वन विभाग का है। अतः खसरा के कॉलम नंबर 12 में बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बण्डा सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि के बदले अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कलेक्टर
जिला-सागर

पृ0क0 / 4123/री0कले0 / 2019
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक 29/05/2019

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरुस्ती कराये जाने हेतु प्रेषित संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
2. परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार बण्डा जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर
जिला-सागर



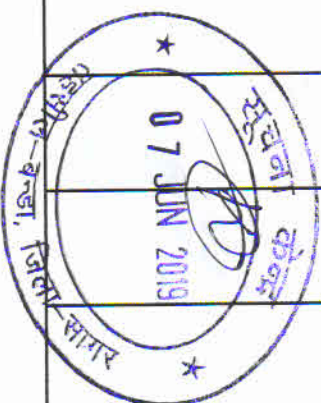
मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फॉर्म वी - II
खसरा

सी. एल. आर. नं. 1110030200007033000149

ग्राम:सागरिया		हल्का :00007 िपडरुआ		य.नि.म. नंबरल		तहसील :बन्डा		जिला :सागर		वर्ष: 2018-2019	
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाती में सौचित्यित न हो तो उसका वर्णन)	कब्रदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अनुसार भूमि धारण की गई हो और देय यादख का स्थान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौज्जादी कार्रकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, स्थान या पट्टे की रकम और उपपट्टे पर दिए गये पाण का क्षेत्रफल	खाले की भूमि						खाले के बाहर के क्षेत्रों में बांटे गई प्लॉट का क्षेत्रफल	कैफियत
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	हफ्तवली क्षेत्रफल	बादल वर्ष की पट्टी	2 से 5 वर्ष तक की पट्टी	अन्य पट्टी अथवा 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	110.74 00	वन विभाग (म.प्र. शासन) भूमि स्वामी								वन शासकीय ##### ##	चाल 12, विधमान 6 अविधमान 6 सिध्दा 1 विधमान श्रीमान् कलेक्टर महो. सागर के स.प्र. क्र. 26/अ/19(3) वर्ष 2011-12 में पारित आ. दि. 6-2-13के अनुसार इस ख.नं. 562 रकबा 110.74 में से पूरा रकबा 110.74 भूमिबीना संयुक्त सिवाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वन विभाग क ो ुद्धर क्षेत्र में आने वाली भूमि के बचले वैकल्पिकयुशोषण हेतु वन विभाग को दिये जाने हेतु आरक्षित की गई। न्यायालय कलेक्टर सागर के पत्र क्र 988-रीडर-14 दि. 12-2-14 के अनुसार वन विभाग को हस्त ारित। न्यायालय कलेक्टर महोदय के स।प्र. क्र. 0 08 अ 193 वर्ष 2019-20 आदेश दि। 29/05/2019 के अनुसार बीना संयुक्त सि चवाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान प र बंटा सिवाई परियोजना को हस्ता।

07 JUN 2019

07 JUN 2019



न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क- ०९ अ/19(3) वर्ष 2019-20

मौजा- कोटरा प.ह.नं. 19

तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

परियोजना प्रशासक,

बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर

तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

विरुद्ध

म.प्र.शासन

..... आवेदक

..... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 29 /05/2019)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर का पत्र क्रमांक-163/कार्य/2018-19 सागर दि. 06.02.19 के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दि. 12.02.14 से बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हेतु डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले 1190.56 हे. राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि में से बीना परियोजना में वर्तमान में 618.49 हे. भूमि उपयोग में ली जाना एवं शेष रकवा 572.07 हे. भूमि बण्डा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित की गई। प्राप्त पत्र के पालन में इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक-1197/री.कले./19 सागर दिनांक 08.02.19 के माध्यम से तहसीलदार बण्डा एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार बण्डा का प्रकरण क्रमांक-0074 बी/121 वर्ष 19-20 मौजा कोटरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा के माध्यम से प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुआ। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग के द्वारा मौका स्थल पर जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौका स्थल निरीक्षण में लेख है कि तहसील बण्डा राजस्व निरीक्षक मंडल बहरोल के ग्राम कोटरा में स्थित भूमि ख.नं. 663/2 रकवा 40.00 हे. भूमि जो कि बीना परियोजना के डूब क्षेत्र उपरांत बदले में वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु प्रदाय की गई थी, जिस पर वर्तमान में वन विभाग का अधिपत्य है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में बण्डा परियोजना के नाम से कम्प्यूटर अभिलेख में नाम परिवर्तन करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मौके पर राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। वन विभाग के पत्र क्रमांक/मा.चि./18/480 सागर दिनांक 08.02.19 जो कि वन मंडल अधिकारी सागर द्वारा सहमति प्रेषित की गई है। तहसीलदार बण्डा के प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा द्वारा अपनी अनुशंसा की गई।

अतः तहसीलदार बण्डा/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बण्डा के प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होकर मौजा कोटरा प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. बहरोल तहसील बण्डा जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :-

स.क्र.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	हस्तांतरित रकवा (हे.में)	मद
01	कोटरा	19	663/2	40.00	40.00	वन विभाग म.प्र.शासन



//2//

वन विभाग को पूर्व में इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.14 के द्वारा हस्तांतरित हो चुकी है तथा अधिपत्य भी वन विभाग का है। अतः खसरा के कॉलम नंबर 12 में बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बण्डा सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि के बदले अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कलेक्टर

जिला-सागर

पृ0क0/4122/री0कले0/2019

सागर दिनांक 29/05/2019

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरुस्ती कराये जाने हेतु प्रेषित संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
2. परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार बण्डा जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर

जिला-सागर



मध्य प्रदेश कम्प्यूटीकृत भू-अभिलेख
फार्म दो-11
खसरा

सी. एल. आर. नं. 1110030200019066000344

ग्राम:कोटा	हल्का :00019 कोटा			य.नि.नं. नहरखंड	तहसील :बन्डा	जिला :सागर	वर्ष: 2018-2019				
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खारो में सम्मिलित न हो तो उसका बोनस)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई है और क्या राजस्व का लाना	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौजूदा कारका के उभ पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उभ पट्टे पर दिए गये धान का क्षेत्रफल	खारे की भूमि						खारे के क्षेत्रों में बाँटे गये फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई	फसल का नाम	क्षेत्रफल	दस्तावेजी क्षेत्रफल	चालू वर्ष की फसली	2 से 5 वर्ष तक की फसली		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663/2	40.000 वन शास कीय 40.000 0	(शासकीय) वन विभाग पता बंडा सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय								अन्य 40.0000	न्यायालय कलेक्टर सागर के पत्र क्र 988-शेडर -14 दि. 12-2-14 के अनुसार वन विभाग को हस्तान्तरित। श्रीमानकलेक्टर म. सागर के य. प्र. क्र. 26/अ/19(3) वर्ष 2012-13 में पारित आ. दि. 23-11-12 के अनुसार इसख. नं. 663 रकबा 85.86 है. में से 40.0 है. भूमि बीना संयुक्त सिंचाई एवम् बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वन विभागकी ंडूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को दिये जाने हेतु आरक्षित की गई। नामान्तरण(डिक्री)प्रकरण क्रमांक 09 आ. दि. 29/05/2019 के अनुसार तहसीलवार द्वारा स्वीकार किया गया है। दि. 07/06/2019 को तहसीलवार द्वारा पूर्व में दर्ज भूमि प्रकार निजी से शासकीय में संशोधन किया गया। न्यायालय कलेक्टर मंडल के या 0 प्र 0 कु 0 09 अ 19 3 वर्ष 2019-20 आदेश दिनांक 29/05/2019 के अनुसार बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्था. न पर बंडा सिंचाई परियोजना को हस्ता 0

